According to available information, no provident fund dues are outstanding from M/s. Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd., Kerala in respect of their contractors' employees. However, some complaints regarding non-extension of provident fund benefits to their contractors' employees from the date they were eligible for coverage have been received and these are being looked into.

महिला छात्रावासों में अनियमितताओं की जांच

*331. **श्री राम अठमलानी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने आल इंडिया वीमन्स कांफ्रेंस और दिल्ली महिला समाज द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए संचालित छात्रावासों म की जा रही अनियमितताओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गई जांच के परिणाम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इन छात्रावासों को संचालित करने के लिये कोई सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क)जी, हां ।

(ख) आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस ने उन संवासियों को होस्टल खाली करने के नोटिस देते समय एक समान मानदंडों का अनपालन नहीं किया था जो वहां रहने की पात्र नहीं हैं । उन्होंने होस्टल के एक हिस्से को ऐसी महिलाओं के लिए अस्थायी निवास (ट्रांजिट-कैम्प) के रूप म इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव रखा जो साक्षात्कार, परीक्षा इत्यादि के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली आती हैं ।

दिल्ली महिला समाज ने सरकार की सहायता से बने होस्टल भवन का एक बड़ा हिस्सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खले विश्वविद्यालय को किराये पर दे दिया है ।

(ग) और (घ) योजना में किए प्रावधान के अनुसार इन होस्टलों का संचालन और प्रबंध संबंधित संगठनों अर्थात् आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस और दिल्ली महिला समाज द्वारा किया जाना है । संगठनों को यह अनुदेश जारी किए गए है कि वे योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करें ।

आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस को प्रबंधक समिति की जिसमें दिल्ली प्रशासन और होस्टल के संवासियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, एक बैठक बुलाने के लिए कहा गया था । एक ऐसी बैठक 23 जुलाई, 1990 को की गई और ऐसे सभी संवासियों को, जिन्हें वहां रहते हुए 10 वर्ष हो चुके हों, 6 महीने का नोटिस दिए जाने का निर्णय लिया गया है । आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि सरकारी अनुदान सहायता से बनाए गए भवन का कोई भी हिस्सा ऐसे प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न किया जाय जिसके लिए अनुदान दिया गया हो ।

दिल्ली महिला समाज द्वारा चलाए जा रहे होस्टल के संबंध में सरकार ने आगे के लिए सरकारी अनुदान देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और दिए गए अनुदानों को ब्याज सहित वापिस लेने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

Land to slum dwellers occupying Railway land in Bombay

*332. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give on